डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No. 2018/HQ/Admin/RTI-112 **New Delhi: 19.03.2018**

Shri Dheeraj Kumar Sharma
S/o Shri Subhash Chandra Sharma
Village Sithrauli
Post- Hathras Junction
Janpad-Hathras

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 27.01.18 received in this office on 26.02.18 through CPM/Tundla.

You have submitted your above RTI application at CPM/ Tundla's office, The CPM Tundla's office, here the deemed CPIO, has forwarded the same along with their reply to this office which is attached.

DA: 3 sheets

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skpanda@dfcc.co.in
97176368

CPM/ Tundla : For information & Record only. Please address all the replies (to the RTI applications either received directly from the applicant or through Corporate Office) to the applicant duly routing the same through the PIO/Corporate Office.

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A) दिनांक:- 13.03.2018

DGM/PIO
DFCCIL
New Delhi

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली पोस्ट हाथरस जंक्शन जनपद- हाथरस, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:-
I आपके पत्र संख्या 2018/HQ/ADMIN/RTI-112 दिनांक 28.02.2018.
II सहायक परियोजना प्रबन्धक/विधुत/टूंडला के पत्र सं TDL/EN/RTI/212(A) दिनांक 13.03.2018

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I में श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली पोस्ट हाथरस जंक्शन जनपद- हाथरस, की जानकारी के लिया RTI प्राप्त हुई इसकी जानकारी हेतु सहायक परियोजन प्रबन्धक/विधुत/टूंडला को निर्देशित किया गया । सन्दर्भित पत्र सं. II के तहत सहायक परियोजन प्रबन्धक/विधुत/टूंडला से जो जानकारी प्राप्त हुई वह निम्नलिखित है:-

क्रम सं	चाही गयी जानकारी	उपलब्ध जानकारी
1	132 के० वी० पुरानी पारेषण लाइन के DFCCIL के परिक्षेत्र से विस्थापन हेतु ग्राम सिथरौली के किसानो को दिये गये प्रथम सूचना नोटिस एवं चेक व आपत्ति वाले किसानो की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।	132 के० वी० डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के विस्थापन का कार्य पूर्ण हो चुका है । तथा नोटिस सं0- 105, दिनांक-20.12.2014 को किसानों को प्रथम सूचना नोटिस दी गयी थी । जिसकी फोटो कोपी संलग्न है । टावर सं0-924/1 की सूचना आवेदनकर्ता के भाई विलोचन कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द्र के नाम से गाटा सं0-372 के लिए दिया था । तथा जिसकी पावती आवेदनकर्ता द्वारा स्वय दी गयी है ।
2	रेलवे द्वारा 132 के० वी० नई/लाइन/टावर लगाने के लिए किसानो की निश्चित भूमि का अधिग्रहण होता है या नहीं, अगर होता है तो किस प्रकार जमीन का मूल्याकन निर्धारित किया जाता है, के शासनादेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।	रेलवे द्वारा 132 के0वी0 की नई टावर लगाने के लिए इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट-1885 तथा इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी एक्ट-2003 के अनुसार किसानों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है । तथा इसमें फसल से सम्बंधित नुकसान का मुआवजा ही देने का प्रावधान है । जमीन के मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है ।

RECEIVED
Date 16/3/18
DGM/PIO Office

Office Of Chief Project Manager:- 3/20, 3rd Floor, KPS Tower, Mayur Complex, Nagla Padi, Near Tulsi Cinema, NH-02 Agra -282002
Telefax: 0562-2485577, E-mail, abkhare@dfcc.co.in, Mob. 7060803000
Website www.dfccil.gov.in

3	किसानो की फसलो की क्षति के आकलन के शासनादेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	किसानो की फसलो की क्षति के आकलन उस टावर से प्रभावित क्षेत्रफल की गणना करने के बाद उस परिक्षेत्र की मंडी समिति से फसल के रेट तथा जिला कृषि अधिकारी/जिला उधान अधिकारी से प्रति हेक्टेयर फसल की उत्पादकता प्राप्त करने के बाद उसके आधार पर ही आकलन किया जाता है जिसकी प्रति राज्य सरकार के समन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

13/03/18
(सुभाष चंद्रा)
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टूंडला

प्रतिलिपि:- उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/अलीगढ़ को सूचनार्थ हुते।